

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

संख्या 1800/रा०नि०आ०अनु०-२/१६/२००८

देहरादून : दिनांक 22 सितम्बर, 2008

अधिसूचना

सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून अधिसूचना संख्या 748/XII(1)/08/86(27)/2007 दिनांक 21 सितम्बर, 2008 के क्रम में भारत का संविधान के अनुच्छेद- 243-ट के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बिपिन चन्द्र चन्दोला, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्वारा यह निर्देश देता हूँ कि जनपद हरिद्वार को छोड़कर राज्य की समस्त जनपदों की क्षेत्र पंचायतों के ज्येष्ठ उप प्रमुखों तथा कनिष्ठ उप प्रमुखों के पदों के निर्वाचन निमांकित विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार कराये जायेंगे।:-

नामांकन का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नामांकन पत्रों की वापसी हेतु दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5
01.10.2008 (पूर्वाह्न 1100 बजे से अपराह्न 1500 बजे तक)	01.10.2008 (अपराह्न 1530 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	03.10.2008 (पूर्वाह्न 1100 बजे से अपराह्न 1500 बजे तक)	05.10.2008 (पूर्वाह्न 1000 बजे से अपराह्न 1500 बजे तक)	05.10.2008 (मतदान समाप्ति के तत्काल बाद)

2. यह निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त तथा यथा संशोधित) एवं तद्धीन प्रख्यापित उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994} अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002, के अनुसार होंगे और इन निर्वाचनों में वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है।

3. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जनपद की क्षेत्र पंचायतों के ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा कनिष्ठ उप प्रमुख के पदों के निर्वाचन हेतु पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 24.09.2008 को जारी करेंगे और तत्काल में निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी नियमावली के प्रारूप-1 में नोटिस प्रसारित करेंगे। उक्त नोटिस जिला मजिस्ट्रेट, जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत कार्यालयों के सूचना पटों में प्रकाशित किया जायेगा और उसकी एक प्रति प्रत्येक सदस्य को उसके अन्तिम ज्ञात पते पर अन्डर पोस्टल सर्टिफिकेट द्वारा भेजी जायेगी।

4. यह निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक संक्रमणीय मत द्वारा

क्रमशः.....2

होगा जिसमें गुप्त मतदान कराया जायेगा। क्षेत्र पंचायत के ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा कनिष्ठ उप प्रमुख के निर्वाचन में प्रयोग किये जाने वाले मतपत्र उपरोक्त नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र-7 के अनुसार होंगे तथा विधिमान्य उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में तैयार की जायेगी और उसमें निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम वर्णमाला क्रम में उनके पते के साथ, उसी क्रम में दिये जायेंगे, जिस क्रम में वह नियम-13 के अधीन प्रकाशित विधिमान्य उम्मीदवारों की सूची में हों। उपरोक्तानुसार निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न होगी और मतदान के पश्चात् मतगणना कराकर निर्वाचन परिणाम निर्वाचन अधिकारी द्वारा यथाशीघ्र घोषित किये जायेंगे।

5. उपरोक्त निर्वाचनों के संचालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट, निर्वाचन अधिकारी होंगे। निर्वाचन अधिकारी अपने कृत्यों के सम्पादन में अपनी सहायता के लिये उक्त नियमावली के नियम-5 के अनुसार एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

ह0.

( बिपिन चन्द्र चन्दोला )  
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

### संख्या 1800(1)/रा०नि०आ०अनु०-२/९१६/२००८ तद॑दिनांक।(फैक्स)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, वन एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, मा०मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
9. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।(हरिद्वार को छोड़कर)
13. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड। (हरिद्वार को छोड़कर)
14. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।(हरिद्वार को छोड़कर)

::3::

15. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड। (हरिद्वार को छोड़कर)
16. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड। (हरिद्वार को छोड़कर)
17. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड। (हरिद्वार को छोड़कर)
18. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित कराने का कष्ट करें।
19. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी/ दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
20. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की दस (10) प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया ध्यान रहे कि यह अधिसूचना विधायी परिशिष्ट में नहीं छपेगी।
21. निजी सचिव, माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त।
22. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
23. सूचना-पट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।
24. गार्ड फाईल अनुभाग-2।

आज्ञा से,

ह0.

( जे0आर0लापड़ )

संयुक्त सचिव।